3/5/21

पत्रावली देखी। बहसमुक्ता वकील प्रार्थी ने अदालत को इत्तिला पेश किये कि वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते तथा प्रकरण को नोटप्रेस खारिज करवाना चाहते हैं अतः वकील प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रार्थना पत्र को नोटप्रेस खारिज किया जाता है पत्रावली के नियमानुसार लेकर नस्ती की जावे व दाखिल दफ्तर हो।

Not Pressed

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:27:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner